अध्याय - II

परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 उपकरण का अनुपयोग

खरीद एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई ने उपकरण, जो पारगमन में क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत के लिए प्रभावी कार्यवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरुप इसकी खरीद पर खर्च की गई ₹ 5.56 करोड़ की निधियां अबरुद्ध हो गई।

परमाणु खनिज खोज तथा अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद (ए.एम.डी.ई.आर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) की एक ईकाई देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए यूरेनियम संसाधनों की पहचान तथा मूल्यांकन में लगी है। ए.एम.डी.ई.आर ने मिश्रधातु सहित भूगर्भीय और अन्य प्राकृतिक तथा सिंथेटिक ठोस पदार्थों के मूल्यांकन में उपयोग हेतु ₹6.50 करोड़ की अनुमानित लागत दर पर 'इलेक्ट्रान प्रोब माइक्रो एनालाइजर (ई.पी.एम.ए) एस.एक्स.-100' खरीदने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 2009)। तदनुसार भण्डार खरीद निदेशालय, मुम्बई (डी.पी.एस.), जो डी.ए.ई की केन्द्रीय खरीद एजेंसी है, ने विक्रेता के भारतीय एजेंट[17] के माध्यम से एफ.सी.ए[18] आधार पर 9,44,445 यूरो की कुल लागत पर ई.पी.एम.ए.-एस.एक्स.-100 की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के लिए केमेका, फ्रांस को एक खरीद आदेश दिया (नवम्बर 2010)। डी.पी.एस को पोत परिवहन दस्तावेजों की प्राप्ति पर कुल मूल्य के 90 प्रतिशत का और सन्तोषजनक प्रतिष्ठापन पर 10 प्रतिशत का भुगतान करना था। उपकरण प्रतिष्ठापन की तारीख से 12 माह अथवा आपूर्ति की तारीख से 18 माह, जो भी पहले हो, के लिए गारंटीकृत था। परिवहन के सभी जोखिम ओरियंटल इन्श्योरेंश कम्पनी के बीमा के माध्यम से प्रबन्धित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपकरण चार लकड़ी के बाक्सों में प्राप्त हुआ (सितम्बर 2011) और डी.पी.एस. ने फर्म को कुल मूल्य का 90 प्रतिशत ₹5.56 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया था (अक्टूबर 2011)। ए.एम.डी.ई.आर. में उपकरण की

---

[17] गेमन डंकरली एण्ड कं.लि., मुम्बई

[18] अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों इनकोटर्मस के अनुसार एफ.सी.ए. या मुफ्त वाहक का अर्थ है कि विक्रेता, विक्रेता के परिसरों अथवा अन्य नामित स्थानों, जिस केन्द्र पर जोखिम विक्रेता का हो जाता है, पर वाहक अथवा क्रेता द्वारा नामित अन्य व्यक्ति को माल सुपुर्द करता है।

प्राप्ति पर यह पाया गया कि पैक उपकरण वाले चार बाक्सों में से एक क्षतिग्रस्त था। तदनुसार, ए.एम.डी.ई.आर. ने बीमा कम्पनी में एक अनंतिम दावा दायर किया (सितम्बर 2011)। प्रेषण का बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था (अक्टूबर 2011) जिसने सूचित किया कि प्रेषण को कोई भौतिक क्षति नहीं हुई थी। बाद में विक्रेता के भारतीय एजैंट के प्रतिनिधि द्वारा बाक्स की सामग्री का निरीक्षण किया (दिसम्बर 2011) और पाया कि एक इलैक्ट्रॉनिक कैबिनेट गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त हुआ था। विक्रेता ने मरम्मत तथा उपकरण के भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक संघटकों की री-ट्यूनिंग के लिए सम्पूर्ण प्रणाली (सभी चार बाक्स) को जहाज से वापस करने का डी.पी.एस. से अनुरोध किया (जनवरी 2012)।

तथापि डी.पी.एस. ने विक्रेता को उपकरण की लागत की बैंक गारंटी भेजने तथा परिवहन के सभी खर्चे वहन करने के लिए कहा (मार्च 2012) क्योंकि उपकरण वारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुआ था। बीमा कम्पनी द्वारा एक अन्य सर्वेक्षण किया गया (अप्रैल 2012) जिसमें सम्बन्धित बाक्स में पाई गई भौतिक हानियां सूचित की गई थी।

विक्रेता ने बैंक गारंटी भेजने अथवा हानियों से संबंधित कोई खर्च वहन करने से यह करते हुए इनकार कर दिया (मई 2012) कि एफ.सी.ए. इनकोटर्मस के अनुसार उपकरण के परवहन प्रहस्तन के दौरान हुई हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो बीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट में उचित प्रकार व्यक्त किया गया था। विक्रेता ने यह भी बताया कि वारंटी अवधि केवल सफल प्रतिष्ठापन और स्वीकृति जांच के बाद आरम्भ होती है अतः लागू नहीं थी। इस मामले को सुलझाने के लिए डी.पी.एस./ए.एम.डी.ई.आर. ने विक्रेता के भारतीय एजेंट के साथ एक बैठक की (अक्टूबर 2012) जिसमें यह निर्णय किया गया कि विक्रेता का एक विशेषज्ञ हुई हानि की मात्रा का निर्धारण करने और सम्पूर्ण सामग्री के पुनः निर्यात की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा करेगा।

विक्रेता के विशेषज्ञ ने प्रेषित सामग्री का मूल्यांकन किया (जनवरी 2013) और तीन विकल्प यथा जांच तथा मरम्मत हेतु सम्पूर्ण प्रेषण वापस करना, मरम्मत अथवा क्षतिग्रस्त संघटक बदलाई करने के लिए केवल क्षतिग्रस्त संघटकों वाले बाक्स को वापस करना या क्षतिग्रस्त संघटकों का प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना प्रस्तुत किए। ए.एम.डी.ई.आर. ने (मार्च 2013) पूरे उपकरण को विक्रेता के पास मरम्मत के लिए वापस भेजने का निर्णय किया। तथापि डी.पी.एस. ने विक्रेता को उपकरण की लागत की बैंक गारंटी भेजने और उसके पुनर्निर्यात के सभी खर्चे वहन करने के लिए पुनः कहा (अप्रैल 2013)। जबकि विक्रेता बैंक गारंटी भेजने को सहमत हो गया (अप्रैल

2013) परन्तु पुनर्निर्यात के सभी खर्चे वहन करने से इनकार कर दिया। जून 2014 तक मामला अनिर्णीत रहा और उपकरण क्षतिग्रस्त अवस्था में ए.एम.डी.ई.आर. परिसरों में रखा रहा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डी.पी.एस. ने क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत के लिए विक्रेता को उत्तरदायी ठहराना जारी रखा यद्यपि यह स्पष्ट हो गया था कि क्षति परिवहन के दौरान हुई थी। यह गलत था क्योंकि खरीद एफ.सी.ए. आधार पर की गई थी, जिसमें उपकरण के परिवहन तथा संबद्ध जोखिमों का उत्तरदायित्व डीपीएस का था। इसके अलावा उपकरण की वारंटी कवरेज केवल कारीगरी तथा विनिर्माण कमियों तक दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि डी.पी.एस. ने क्षतिग्रस्त उपकरण के बीमा दावे, उसके पुनर्निर्यात तथा मरम्मत के लिए बीमा कम्पनी के साथ आगे कोई कार्रवाई नहीं की यद्यपि परिवहन बीमा विक्रेता के भण्डागार से अन्तिम गन्तव्य अर्थात ए.एम.डी.ई.आर. तक लिया गया था। परणामस्वरुप, बीमा दावा करने का विकल्प, जो अनन्तिम दावा दायर करने की तारीख से छः माह तक वैद्य था, भी समाप्त हो गया।

इस प्रकार क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत के लिए प्रभावी कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरुप उपकरण की खरीद पर ₹ 5.56 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ। उपकरण दो वर्ष से अधिक समय के लिए क्षतिग्रस्त अवस्था में रहा और प्रयोजन, जिसके लिए यह खरीदा गया था, के लिए उपयोग नहीं किया जा सका।

डी.पी.एस. ने बताया (सितम्बर 2013) कि चूंकि फर्म ने मरम्मत के लिए भेजे जाने वाले उपकरण/संघटकों के मूल्य के बराबर की बैंक गारंटी देने से इनकार कर दिया इसलिए उसे फर्म को वापस नहीं भेजा जा सका और अभी भी निदेशालय/ए.एम.डी.आर. में पड़ा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.पी.एस. ने परिवहन में हुई हानियों के लिए अनावश्यक रुप से विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया और मरम्मत कराने अथवा अन्तिम बीमा दावा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा।

इसके परिणामस्वरुप बीमा के माध्यम से हानियों को कम करने का अवसर खो देने के अलावा ₹ 5.56 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हो गईं।

मामला विभाग को अप्रैल 2014 में भेजा गया था, जून 2014 तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।